उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

संख्या-14/2017/वे0आ0-2-602/दस-2017-01(एम)/2016

लखनऊः दिनांकः 18 अगस्त, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा वेतनमानों के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में विचार कर संस्तुति देने हेतु शासकीय संकल्प संख्या-38/2016/वे0आ0-2-876/दस-01(एम)/2016 दिनांक 11 अगस्त, 2016 द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल दिनांक 31 अगस्त 2017 तक निर्धारित था। वेतन समिति द्वारा राज्य कर्मचारियों, राजकीय शिक्षकों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, स्थानीय निकायों, स्वशासी संस्थाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों के सामान्य पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स एवं पेंशन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में संस्तुतियॉ पूर्व में प्रस्तुत की गयी थीं। उक्त क्रम में वेतन समिति द्वारा राजकीय विभागों के सामान्य कोटि के संवर्गों/पदों के सम्बन्ध में संस्तुतियॉ दिनांक 17 अगस्त 2017 को प्रस्तुत की गयीं हैं।

2. वेतन समिति को अभी राजकीय विभागों की विभागवार/पदवार तथा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, स्थानीय निकायों, स्वशासी संस्थाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के सामान्य कोटि एवं अन्य पदों तथा विभिन्न प्रकार के भत्तों एवं सुविधाओं आदि के सम्बन्ध में संस्तुतियॉ प्रस्तुत करनी हैं। उक्त के दृष्टिगत राज्यपाल महोदय वेतन समिति का कार्यकाल दिनांक 01 सितम्बर 2017 से अगले 06 माह अर्थात् दिनांक 28 फरवरी 2018 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

अनूप चन्द्र पाण्डेय

अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या-14/2017/वे0आ0-2-602(1)/दस-01(एम)/2016 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2. अध्यक्ष, वेतन समिति, उ0प्र0।

3. सदस्य सचिव वेतन समिति, उ0प्र0।

4. प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।

5. प्रमुख सचिव, राज्य सम्पत्ति विभाग, उ0प्र0 सचिवालय।

6. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2/3।

7. नियुक्ति अनुभाग-1

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

8. इरला चेक अनुभाग।

9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

10. वित्त (सेवायें) अनुभाग-1/4

11. लेखाकार-कम-कोषाध्यक्ष, वेतन समिति।

आज्ञा से,

शिव गोपाल सिंह

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।